झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक ....8.... सितम्बर, 2015

संख्या-01/नि2-01/2012.....238...../ चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह समाधान हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के फलस्वरूप राज्य शिक्षा सेवा हेतु अलग से सेवा शर्त्त नियमावली बनाना आवश्यक हो गया है, अतः '**भारत का संविधान**' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यान्तर्गत राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय - 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

   (1) यह नियमावली '**झारखण्ड शिक्षा सेवा नियमावली, 2015**' कहलायेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

   (4) पूर्व में तत्संबंधी निर्गत अधिसूचना संख्या-48 दिनांक 25.03.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अध्याय - 2

2. परिभाषाएँ :- जब तक कोई बात, विषय संदर्भ न हो इस नियमावली में :-

   (i) '**राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के गठन**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन बिहार शिक्षा सेवा के वैसे पदाधिकारियों, जिन्हें झारखण्ड राज्य आवंटित किया गया है तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को मिलाकर होगा।

   (ii) '**संवर्ग पदाधिकारी**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड शिक्षा सेवा के सदस्य।

   (iii) '**संवर्ग पद**' से अभिप्रेत है, इस नियमावली में उल्लिखित झारखण्ड शिक्षा सेवा की सभी श्रेणियों का पद।

   (iv) '**निदेशक, प्राथमिक शिक्षा**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक।

Spadhyay 07.09.15 7/9/15 7/9/15

(v) '***निदेशक, माध्यमिक शिक्षा***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक।

(vi) '***विशेष निदेशक***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(vii) '***अपर निदेशक,***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी ।

(viii) '***संयुक्त निदेशक,***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(ix) '***उप निदेशक,***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(x) '***सहायक निदेशक,***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सहायक निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xi) '***क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xii) '***जिला शिक्षा पदाधिकारी***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xiii) '***जिला जन शिक्षा पदाधिकारी***' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् झारखण्ड राज्य को राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के पदों के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त कराये गये जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के पद, जिसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आवश्यकतानुरूप उपयोग किया जायेगा।

(xiv) '***जिला शिक्षा अधीक्षक***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक के पद पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xv) '***अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु अनुमण्डल स्तर पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xvi) '**क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु प्रत्येक 3 (कतिपय मामलों में 2) प्रखण्डों पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xvii) '**जिला विद्यालय निरीक्षिका**' से अभिप्रेत है, जिला स्तर पर बालिका शिक्षा की देख-रेख हेतु सृजित किये गये राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी का पद।

(xviii) '**अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के पूर्व अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी तथा नियमावली, 2014 के तहत् नियुक्त होने वाले अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xix) '**आयोग**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से स्थापित झारखण्ड लोक सेवा आयोग।

(xx) '**सरकार**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार।

(xxi) '**सरकार के सचिव**' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव।

(xxii) '**राज्य**' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य।

(xxiii) '**सक्षम प्राधिकार**' से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा के साथ मेधा सूची उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत करे।

(xxiv) '**वर्ष**' से अभिप्रेत है, पंचांग वर्ष।

अध्याय - 3

3. झारखण्ड शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की निम्न श्रेणियाँ होंगी :-

(i) झारखण्ड शिक्षा सेवा श्रेणी-2 (मूल कोटि) - PB-II रु0 9300-34800, ग्रेड पे0 - रु0 5400/-

(ii) झारखण्ड शिक्षा सेवा श्रेणी-1 - PB-III रु0 15600-39100, ग्रेड पे0 - रु0 6600/-

(iii) झारखण्ड शिक्षा सेवा श्रेणी-1 - PB-III रु0 15600-39100, ग्रेड पे0 - रु0 7600/-

Spadhyay 07-09-15 7/9/15 7/09/15

(v) '***निदेशक, माध्यमिक शिक्षा***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक।

(vi) '***विशेष निदेशक***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(vii) '***अपर निदेशक,***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी ।

(viii) '***संयुक्त निदेशक,***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(ix) '***उप निदेशक,***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(x) '***सहायक निदेशक,***' से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभागान्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सहायक निदेशक के रूप में पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xi) '***क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xii) '***जिला शिक्षा पदाधिकारी***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xiii) '***जिला जन शिक्षा पदाधिकारी***' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् झारखण्ड राज्य को राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के पदों के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त कराये गये जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के पद, जिसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आवश्यकतानुरूप उपयोग किया जायेगा।

(xiv) '***जिला शिक्षा अधीक्षक***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक के पद पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।

(xv) '***अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी***' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु अनुमण्डल स्तर पर पदस्थापित राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी।